

राजस्थान सरकार  
- वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(240)वित्त-1(1)आ.व्यय/2014/

जयपुर, दिनांक : 1/1/2016

आदेश

अतिरिक्त आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ 4 ( ) परावि/पीसी/निरायो/बजट/2015-16/316 दिनांक 29.12.2015 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 33/2015-16) के क्रम में "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिए निर्बंध कोष योजना में से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर को राशि रु. 673.64050 लाख, मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को राशि रुपये 4.50 लाख एवं आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर को राशि रुपये 4.50 लाख कुल राशि रु. 682.64050 लाख (अक्षरे राशि रु. छः करोड़ बियासी लाख चौसठ हजार पचास रुपये मात्र) के लिए निम्न बजट मदों में से राशि आहरण करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	बजट मद	आहरण एवं वितरण हेतु अधिकृत विभाग का नाम	राशि रु. लाखों में
1	मांग संख्या-41 2515-00-196-(15)-[02]-12 (आयोजना)	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	402.10
2	मांग संख्या-30 2515-00-196-(16)-[02]-12 (आयोजना)	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	119.12
3	मांग संख्या-51 2515-00-196-(17)-[02]-12 (आयोजना)	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	152.42050
4	मांग संख्या-51 2515-00-196-(17)-[02]-12 (आयोजना)	मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	4.50
5	मांग संख्या-51 2515-00-196-(17)-[02]-12 (आयोजना)	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	4.50
	योग		682.64050

(अक्षरे राशि रु. छः करोड़ बियासी लाख चौसठ हजार पचास रुपये मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। इस संबंध में महालेखाकार से अंकगलान कार्य के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को आवश्यक सहयोग देते। अंकगलान का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का ही होगा।

भवदीय

*W. S. Singh*  
(जिसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यंय-5) विभाग, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

*W. S. Singh*  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 4( ) परावि/पीसी/निरायो/बजट/2015-16/316

जयपुर, दिनांक : 29/12/15

**प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 33/2015-16)**

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिए निर्बंध राशि में से वर्ष 2015-16 हेतु राज्य स्तरीय गतिविधियों के लिए राशि रु. 67364050/- (अक्षरे राशि रु. छः करोड़ तेहतर लाख चौसठ हजार पचास रु. मात्र) निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर को, राशि रु. 450000/- (अक्षरे राशि रु. चार लाख पचास हजार मात्र) के लिए मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को एवं राशि रूपये 450000/- (अक्षरे राशि रु. चार लाख पचास हजार मात्र) के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर को निम्न बजट मदों से राशि के आहरण एवं वितरण हेतु अधिकृत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 21(07)निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/198-630 दिनांक 30.10.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं निर्बंध योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के उपयोग हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 21(08) निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/ 2015-2428 दिनांक 03.12.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जायेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम की पालना सुनिश्चित की जावे। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

क.सं.	बजट मद	आहरण एवं वितरण हेतु अधिकृत विभाग का नाम	राशि(लाखों में)
1	मांग संख्या-41 2515-00-196-(15)-[02]-12 आ.	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	402.1000
2	मांग संख्या-30 2515-00-196-(16)-[02]-12 आ.	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	119.1200
3	मांग संख्या-51 2515-00-196-(17)-[02]-12 आ.	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	152.4205
4	मांग संख्या-51 2515-00-196-(17)-[02]-12 आ.	मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	4.5000
5	मांग संख्या-51 2515-00-196-(17)-[02]-12 आ.	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	4.5000
योग			682.6405

(अक्षरे राशि रु. छः करोड़ बियासी लाख चौसठ हजार पचास रूपये मात्र)

उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अवशेष राशि का विवरण भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331500882 दिनांक 23.12.2015 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(आर.एस. मक्कड़)  
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार राशि रु. 682.6405 लाख संबंधित विभागों को आहरण एवं वितरण अधिकारी अधिकृत करने के संबंध में स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करे।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
12. अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
13. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार